भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **708**
उत्तर देने की तारीख दिनांक **04** फरवरी**, 2026**

इंटरनेट सेवाओं का निलंबन

708. श्री बाबू सिंह कुशवाहाः
श्री नीरज मौर्यः
श्री लालजी वर्माः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार और स्थानीय प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने और कतिपय अन्य कारणों से समय-समय पर विभिन्न शहरों में इंटरनेट सेवाओं पर अल्प या दीर्घ अवधि के लिए प्रतिबंध लगाते या उन्हें निलंबित करते हैं;
(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि इंटरनेट सेवाओं के निलंबन से बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों, वेतनभोगी व्यक्तियों, व्यापारियों, छात्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों और ऑनलाइन कार्य में लगे कर्मचारियों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;
(ग) क्या सरकार का निर्बाध इंटरनेट संपर्क सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है; और
(घ) क्या सरकार के पास विगत पांच वर्षों के दौरान इंटरनेट बंद होने के कारण हुई वित्तीय क्षति से संबंधित कोई आंकड़े हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) भारतीय दूरसंचार अधिनियम, 2023 के धारा 20 (2) (ख) के तहत दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार इंटरनेट को अस्थायी रूप से निलंबित करने संबंधी आदेश जारी करने के लिए सशक्त है।

(ख) और (ग) आम तौर पर, किसी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन के दौरान, केवल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया जाता है और वॉयस कॉलिंग और लघु संदेश सेवा (एसएमएस) जैसी अन्य दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध रहती हैं, जिसके माध्यम से उस क्षेत्र के लोग संचार कर सकते हैं और आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच सकते हैं।

दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत अधिसूचित दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी को इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन का आदेश जारी करने से पहले लोक आपातकालीन और लोक सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए सभी उचित विकल्पों का पता लगाना चाहिए। यदि ऐसा निलंबन आवश्यक समझा जाता है, तो निलंबन आदेश स्पष्ट रूप से कारण बताते हुए प्रकाशित किया जाना चाहिए और परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र और निर्दिष्ट अवधि तक सीमित होना चाहिए।

(घ) दूरसंचार विभाग के पास ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।
